

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर

के समक्ष

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय :- न्यू पावर हाउस, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर- 342004

द्वारा

विव 2016–17 के लिए

निवेश योजना

के अनुमोदनार्थ

दायर

याचिका

संक्षेपणों की सूची

केविविआ	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
डिस्कॉम	वितरण कम्पनी
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विव	वित्तीय वर्ष
विव 15	वित्तीय वर्ष 2014–15
विव 16	वित्तीय वर्ष 2015–16
विव 17	वित्तीय वर्ष 2016–17
भास	भारत सरकार
रास	राजस्थान सरकार
आअबसं	आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन
जोधपुर डिस्कॉम/जोविविनिलि	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
केवीए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलो वॉट
किवाघ	किलो वॉट घण्टा
कि.मी.	किलोमीटर
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
ऊविनि	ऊर्जा वित्त निगम
पुत्वविवि एवं सुका	पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
विनियम	राविविआ (टैरिफ के विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014
राविविआ/आयोग	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रागांग्रावियो	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
दीदउग्राज्योयो	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना
एबीवियो	एकीकृत बिजली विकास योजना
रु.	भारतीय रुपये
मुमंसलिवियो	मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना
फीसुका	फीडर सुधार कार्यक्रम
सस्टेसुका	सब स्टेशन सुधार कार्यक्रम
राराविम/मण्डल	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
अनुज्ञप्तिधारी/यूटिलीटि	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	प्रस्तावना	5
अ 2:	जोधपुर डिस्कॉम की प्रस्तावित वार्षिक योजना (विव 2016–17)	6
	प्रस्तावित वार्षिक योजना (विव 2016–17)	6
	संसाधन (विव 2016–17)	6

सारणियों की सूची

सारणी 1:	विव 2016–17 के लिए योजना की रूपरेखा	6
सारणी 2:	विव 2016–17 के लिए योजना संसाधनों का जुटाव	6
सारणी 3:	विव 2016–17 के लिए उप-प्रसारण तथा वितरण कार्यों के भौतिक लक्ष्य	9

अ1. प्रस्तावना

- 1.1 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के अनुसार डिस्कॉमों को उनकी निवेश योजना याचिका, आयोग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करनी होती है। जोधपुर डिस्कॉम, विव 2016–17 के लिए अपनी निवेश योजना माननीय आयोग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती है।
- 1.2 विव 2016–17 के लिए, निम्नलिखित तत्वों के आधार तथा पूर्वानुमानों को, निम्नलिखित भाग विस्तार से स्पष्ट करते हैं :
 - पूंजीगत व्यय के लिए योजनावार प्रावधान,
 - उप-प्रसारण तथा वितरण के लिए प्रावधान,
 - ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए प्रावधान,
 - नयी योजनाओं की लागत तथा निधियन
- 1.3 प्रस्तावित निवेश योजना में विव 2016–17 के लिए राजस्थान सरकार (रा.स.) के आयोजना विभाग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना नियतन 1794.60 करोड़ रु. है, और काम की गति को देखते हुए विव 2016–17 के लिए संशोधित योजना परिव्यय रूपये 1345 करोड़ प्रस्तावित किया जा रहा है। विव 2015–16 के लिए 1389.59 करोड़ रूपये की वार्षिक निवेश योजना अनुमोदित की गई क्योंकि विव 2015–16 के लिए निवेश की योजना का विश्लेषण करते हुए आयोग ने कहा है कि “चूंकि निवेश वर्ष 2015–16 पहले ही समाप्त हो चुका है अतः वास्तविक निवेश को ही उसके सत्यापन की स्थिति में अनुमोदित निवेश माना जावे।

अ 2. जोधपुर डिस्कॉम की प्रस्तावित वार्षिक योजना (2016-17)

प्रस्तावित वार्षिक योजना (विव 2016-17)

- 2.1 जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर, विव 2016-17 के लिए 1345.00 करोड़ रु. की वार्षिक योजना प्रस्तावित करती है। विव 2016-17 के दौरान आयोजित गतिविधियों के अन्तर्गत किये जाने वाले पूंजीगत व्ययों हेतु प्रावधान निम्नानुसार है।

सारणी 1 : विव 2016-17 के लिए प्रस्तावित योजना परिव्यय

योजना का नाम	योजना लागत विव 2016-17(करोड़ रु.)
उप-प्रसारण एवं वितरण	300.00
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	450.00
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	280.00
पुत्वविविसुका - अ	50.00
पुत्वविविसुका - ब	110.00
फीडर सुधार कार्यक्रम	50.00
सब-स्टेशन सुधार कार्यक्रम	40.00
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दीदउग्राज्योयो)	35.00
एकीकृत बिजली विकास योजना (एबीवियो)	30.00
योग	1345.00

संसाधन (विव 2016-17)

- 2.2 प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के निधियन के स्रोतों की विस्तृतियां, नीचे सारणी में, दी गयी हैं :-

सारणी 2: विव 2016-17 के लिए योजना संसाधनों का जुटाव

क्र.सं.	विशिष्टियां	विव 2016-17
1	प्रत्यक्ष	
क.	जीवन बीमा निगम	0.00

ख.	बॉण्ड	0.00
ग.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	
	– नये कनेक्शन दिये जाने सहित सामान्य ग्रावि कार्य	1020.40
	– फीनका	0.00
घ.	रागांग्रावियो	0.00
ड.	पु-त्वविविसुका	0.00
च.	ऊविनि / वाणिज्यिक बैंक / एनसीआरपीबी	190.00
	योग (1)	1210.40
2.	राज्य सरकार से	
क.	त्वविविसुका के अन्तर्गत ऋण	0.00
ख.	राज्य सरकार साम्या	134.60
	योग (2)	134.60
3	महायोग (1 + 2)	1345.00

विव 2016-17 के लिए मदवार समग्र योजना

मद क: उप-प्रसारण तथा वितरण कार्य

- 2.3 विद्यमान नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए ग्यारहवीं योजना में विभिन्न योजनायें चालू व पूर्ण की गयी थी। तदनुसार तन्त्र में अग्रेतर सुधार तथा सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है ताकि तन्त्र हृष्ट-पुष्ट तथा उन्नत हो जाये और परिणामस्वरूप कम संख्या में अवरोधों के साथ उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युतापूर्ति करने में समर्थ हो सके। प्रस्तावित योजनायें डिस्कॉम क्षेत्र में सघन विद्युतीकरण के लिए भी लक्षित हैं। प्रस्तावित योजनायें/कार्य, वितरण नेटवर्क का विस्तार सुनिश्चित करेंगी।
- 2.4 विव 2016-17 के दौरान आयोजना योजनान्तर्गत 300 करोड़ रु. का प्रावधान उप-प्रसारण तथा वितरण तन्त्र सुधार योजना हेतु रखा गया है। यह प्रावधान जोधपुर डिस्कॉम के कार्यक्षेत्र में प्र.एवं.वि. हानियों में कमी तथा विद्युतापूर्ति की गुणवत्ता व विश्वसनीयता में सुधार हेतु उप-प्रसारण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए 11 केवी लाइनों के अन्तर्सम्बन्ध तथा न्यूट्रल तार बिछाने के साथ मध्य विस्तार खम्भा (मिड स्पॉन पोल), इसकी अभिज्ञात योजनाओं हेतु सर्विस कनेक्शन दिये जाने आदि के

- लिए सहचारी लाइनों तथा 33 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण के प्रयोजनार्थ है।
- 2.5 ग्रापंविबियो राजस्थान सरकार से अनुमोदित हो गयी है तथा योजना की मुख्य विशेषतायें निम्नवत् है :-
- क. राज्य की प्रत्येक पंचायत के लिए, पंचायत के गांवों को आवृत करते हुये एक स्वतन्त्र 11 केवी फीडर होगा।
- ख. भार केन्द्र पर 3 से 4 पंचायतों के समूह के लिए अतिरिक्त 33/11 केवी सब-स्टेशन सृजित किया जायेगा।
- ग. 11 केवी फीडर की लम्बाई अधिमानतः 5 किमी से अधिक नहीं है।
- घ. पंचायतवार गांवों के सम्भरण हेतु, प्रत्येक 33/11 केवी सब-स्टेशन पर 3 से 4 से अधिक 11 केवी फीडर नहीं होंगे।
- ङ. 33/11 केवी सब-स्टेशनों की क्षमता इस प्रकार से होगी कि चरम मौसम में 80 प्रतिशत से अधिक भार न आये।
- च. प्रत्येक 11 केवी फीडर सम्भवतः 80 एम्पीयर के अधिकतम भार के लिए प्रतिबन्धित होगा।
- छ. ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी ऊपरी लाइनों की चौड़ाई, आन्तरायिक खम्भे लगाकर कम करने की कोशिश की जायेगी।
- ज. भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में धरेलू मांग में संवृद्धि के परिणामस्वरूप 1 फेज तन्त्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 33/11 केवी तक, प्रत्येक 1 फेज ट्रान्सफार्मर के लिए न्यूट्रल तार डाला जायेगा।
- झ. ग्रापंविबियो के कार्य प्रगतिरत हैं, तथा उप-प्रसारण वितरण कार्यक्रम मद के अन्तर्गत आवृत्त है।
- 2.6 इस मद के अन्तर्गत विव 2015-16 के कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट क्रमशः अनुलग्नक- "ए" तथा अनुलग्नक "बी" में दर्शित है।
- 2.7 उप-प्रसारण तथा वितरण मद के अन्तर्गत विभिन्न सम्बद्ध कार्य तथा उनके बजट नियतन नीचे सारणी में दर्शित हैं-

सारणी 3 : विव 2016-17 के लिए उप-प्रसारण तथा वितरण कार्यों के भौतिक लक्ष्य

विशिष्टियां	इकाई	भौतिक लक्ष्य
33/11 केवी सब- स्टेशन	मेवोए	258
33/11 केवी सब- स्टेशन	सं.	60
33 केवी लाइनें	किमी	390

अभिज्ञान, चयन तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया

2.8 मांग संवृद्धि को पूरा करने के लिए योजनाओं को, नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने, नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा तन्त्र में सुधार हेतु जरूरत के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है, वृत्तीय आयोजना विभाग क्षेत्र में शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित निवेश विस्तृत तकनीकी उचित उद्यम के साथ तथा लागत लाभ विश्लेषण के पश्चात् प्रस्ताव, प्रवर्तित करता है। प्रस्तावों को मुख्यावास के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया जाता है। मुख्यावास पर आयोजना वृत्त तकनीकी तथा वित्तीय साध्यता के आधार पर तथा सरकार से वर्ष के लिए उपलब्ध स्वीकृति के अनुसार योजनाओं का चयन करता है। उप-प्रसारण तथा वितरण कार्यों तथा ग्राविकार्यों की सभी योजनायें 10 करोड़ रु. से नीचे हैं तथा उनका कार्यान्वयन, शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति के बाद किया जाता है।

मद- खः नये कनेक्शन दिये जाने सहित सामान्य ग्रामीण विद्युतीकरण (ग्रावि) कार्य

- 2.9 ग्रावि कार्यों के अन्तर्गत योजनायें, विद्युतीकरण, विद्युत कनेक्शन दिये जाने, उप-प्रसारण तथा वितरण तन्त्र का सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्र.एवं.वि. हानियों में कमी, पर लक्षित है।
- 2.10 विव 2016-17 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु 450.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।
- 2.11 इस प्रावधानान्तर्गत लगभग 7445 की संख्या में कृषि कनेक्शन दिये जायेगे। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं की लम्बित प्रतीक्षा सूची को निपटाने में डिस्कॉम की सहायता करेगा।
- 2.12 ग्रावि कार्यों के अन्तर्गत निष्पादित की जाने वाली योजनाओं से विचारित लाभों में शामिल है:

- ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतापूर्ति के लिए वितरण नेटवर्क का विस्तारण,
- तन्त्र हानियों में कमी तथा विश्वसनीयता प्राचलों में सुधार
- ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन दिया जाना
- जलापूर्ति में वृद्धि के उद्देश्य से कुओं का ऊर्जीकरण

2.13 विव 2015-16 के अन्तर्गत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति क्रमशः **अनुलग्नक- "ए"** तथा **"बी"** पर दर्शित है।

मद- ग: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रागांग्रावियो) (12 वी परियोजना)

- 2.14 280 करोड़ रु. का एक मुश्त प्रावधान इस योजनान्तर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु रखा गया है।
- 2.15 एक सौ व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या वाली ढाणियों के विद्युतीकरण को शामिल करने के लिए इस योजना के क्षेत्राधिकार को बारहवीं योजना में विस्तारित कर दिया गया है। रागांग्रावियो कार्यों में अभिज्ञात गांवों, ढाणियों को विद्युतीकृत करने तथा गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर को कनेक्शन देने के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन शामिल है।
- 2.16 योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है।
- 2.17 उत्तम गुणवत्ता की विद्युतापूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों, खादी तथा ग्राम उद्योगों के छितराव को समर्थ कर पायेगी। यह आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी की प्रयुक्ति के परिदान को भी सुकर करेगी। यह ग्रामीण विकास को त्वरित करने, रोजगार उत्पादन तथा गरीबी उपशमन पर लक्षित है।
- 2.18 रागांग्रावियो कार्यों के अन्तर्गत निष्पादित योजनाओं से विचारित लाभों में शामिल है :
- गांवों तथा ढाणियों का सघन विद्युतीकरण
 - गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर कनेक्शन दिया जाना।

कार्यों की प्राक्कलित लागत

2.19 इस योजना के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु योजना प्रावधान विव 2016-17 के दौरान लगभग 280 करोड़ रु. है। योजना का निधियन रागांग्रावियो नीति के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा किया जायेगा।

2.20 विव 2015-16 के लिए इस योजना के अन्तर्गत कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति क्रमशः अनुलग्नक- "ए" तथा "बी" में दर्शायी गयी है।

2.21 विव 2016-17 के लिए योजना की भौतिक तथा वित्तीय विस्तृतियां क्रमशः अनुलग्नक- "सी" तथा अनुलग्नक "डी" पर दर्शित है।

मद घ: पुत्वविविसुका

पुत्वविविसुका कार्य- भाग अ सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षणीय नियन्त्रण व डैटा अवाप्ति (स्काडा)

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण

2.22 योजना कार्यों के अन्तर्गत सूप्रो समर्थ करने वाली गतिविधियां जैसे पर्यवेक्षणीय नियंत्रण तथा डैटा अवाप्ति आदि को उन्नत करने तथा विद्यमान नेटवर्क को सुदृढ़ करने के कार्य शुरू कर दिये गये हैं। फेजिंग के अनुसार पुत्वविविसुका के भाग - अ के अन्तर्गत सूप्रो समर्थ करने वाली गतिविधियों के लिए योजना, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य शुरू हो गया है तथा यह प्रत्याशित है कि पुत्वविविसुका भाग - अ के अन्तर्गत योजना का निष्पादन शीघ्र पूरा हो जायेगा।

2.23 पुत्वविविसुका भाग - अ को आगे और दो भागों में विभक्त किया गया है:

- 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सूप्रो तन्त्र की स्थापना
- 4 लारव से अधिक जनसंख्या तथा 350 मियू वार्षिक ऊर्जा निवेश वाले चयनित नगरों में पनि तथा डैअ की अधिष्ठापना,

2.24 निष्पादन के पश्चात् होने वाले लाभ :

- सतत् हानि कमी के साथ विद्यमान नेटवर्क का सुदृढीकरण
- यथार्थ आधार लाइन डैटा समर्थ करना
- संसाधन प्रक्रिया प्राप्त होगी
- सूप्रो का कार्यान्वयन समर्थ होगा।

2.25 प्रमुख कार्य जो हाथ में लिये गये हैं, डैटा केन्द्रों के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अधिष्ठापना, महाविपदा प्रतिप्राप्ति केन्द्रों के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अधिष्ठापना, डिस्कॉम के मुख्यावास पर ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना, मीटर डैटा अवाप्ति तन्त्र आदि हेतु मोडेमों की अधिष्ठापना।

कार्यों की प्राक्कलित लागत

- 2.26 विव 2016-17 के दौरान शुरू किये जाने वाले पुत्वविविसुका – अ कार्यों की प्राक्कलित लागत 50 करोड़ रु. है। योजनाओं का निधियन पुत्वविविसुका योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से ऊविनि द्वारा होगा।
- 2.27 विव 2016-17 के लिए योजना की भौतिक तथा वित्तीय विस्तृतियां क्रमशः अनुलग्नक-“सी” तथा अनुलग्नक “डी” पर दर्शित है।

पु-त्वविविसुका – भाग ब गैर पनितथाडेअ नगर एवं पनितथाडैअ नगर

प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण

- 2.28 आधार लाइन डैटा स्थापना पर केन्द्र बिन्दु के साथ आपूर्ति की विश्वसनीयता बनाये रखने तथा उप- प्रसारण व वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के माध्यम से सत एवं वा हानियों में कमी करने की यह भारत सरकार की एक पहल है। इस योजना से 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों के शहर व नगर आवृत होंगे।
- 2.29 प्रारम्भ में 25 प्रतिशत निधियां भारत सरकार से ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी तथा शेष वित्तीय संस्थाओं से ली जानी है। समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में 15 प्रतिशत से नीचे कमी किये जाने ओर उसे उस स्तर से नीचे बनाये रखने के मापदण्ड पर आधारित, नगर की कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष अनुदान के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है तथा यदि उस नगर की हानियों को 15 प्रतिशत से नीचे लाया जाता है और उसे 5 वर्ष तक बनाये रखा जाता है, तो नगर की कुल परियोजना लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत को अनुदान के रूप में रूपान्तरित किया जा सकता है। सतएवंवा हानियों के टीपीआईईए-ईए मै. वीयन्त सोल्यूशन प्रा. लि., गुडगांव, जिसे ऊविनि द्वारा टीपीआईईए-ईए के रूप में नियुक्ति किया गया है, द्वारा सत्यापित किया जायेगा। 30 नगरों की आधार लाइन हानियों को टीपीआईईए-ईए द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। इस योजना के मुख्य कार्य इस वर्ष में किये जायेगे। विव 2016-17 मे मुख्य कार्यों में जोधपुर में बैक-अप सर्वर की स्थापना शामिल होगी।
- 2.30 विव 2016-17 के दौरान निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की अनुमानित लागत

110.00 करोड़ रु. होगी। फेजिंग के अनुसार पुत्वविविसुका के भाग – अ के अन्तर्गत सूप्रो समर्थ करने वाली गतिविधियों के लिए योजना भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य प्रगतिरत है तथा शीघ्र पूरा हो जायेगा।

2.31 विव 2016-17 के लिए योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति क्रमशः अनुलग्नक- "सी" तथा अनुलग्नक "डी" पर दी गयी हैं।

2.32 विव 2015-16 के लिए पुत्वविविसुका भाग- अ एवं पुत्वविविसुका भाग- ब के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति अनुलग्नक- "बी" पर दी गयी है।

मद – ड. : फीडर सुधार कार्यक्रम

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

2.33 फीडर सुधार कार्यक्रम के निष्पादन हेतु 50.00 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

इस कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं :

1. ढीले तारों को कसना
2. झुके हुये खम्भों को सीधा करना
3. पर्याप्त सतही क्लीयरेन्स प्रदान करने हेतु लम्बे फैलाव में, खम्भों की सन्निविष्टि
4. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरुस्तीकरण
5. तीन फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरुस्तीकरण
6. अप्रचलित एबी केबिल का प्रतिस्थापन
7. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षमता संवर्धन
8. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की अर्थिंग
9. 33/11 केवी सब-स्टेशनों के समीपस्थ गांवों में तीन फेज तन्त्र की स्थापना
10. ढीले एबी केबिल को कसना
11. एम-सील लगाना / बिना सील वाले केबिल बिन्दुओं की मरम्मत
12. इन्श्यूलेटेड कनेक्टरों की स्थापना
13. दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन
14. ट्रान्सफार्मर पठन प्लेटफार्म आदि

मद – च: सब-स्टेशन सुधार कार्यक्रम (सस्टेसुका)

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

2.34 सब-स्टेशन सुधार कार्यक्रम के निष्पादन के लिए 40.00 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं :

1. अकार्यशील रोस्टर स्विचों का अवनमन प्रतिस्थापन
2. नये रोस्टर स्विचों की अधिष्ठापना
3. अकार्यशील सर्किट ब्रेकरों की मरम्मत/का प्रतिस्थापन
4. नये सर्किट ब्रेकरों की अधिष्ठापना
5. अकार्यशील फीडर मीटरों की प्रतिस्थापना
6. नये फीडर मीटरों की अधिष्ठापना
7. 33 केवी सब-स्टेशन/ पावर ट्रांसफार्मरों आदि पर अर्थिंग का सुधार

मद – छ: दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दीदउग्राज्योयो)

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

2.35 भारत सरकार ने 3 दिसम्बर 2014 को "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" अनुमोदित की है।

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीय तथा गैर- कृषीय उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की विवेकपूर्ण पुनः स्थापना को सुकर बनाने के लिए कृषीय तथा गैर- कृषीय फीडरों को अलग- अलग करना।
- (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-प्रसारण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण व संवर्द्धन
- (iii) 12 वीं तथा 13 वीं योजनाओं के लिए रागांग्रावियो के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 01.08.2013 के सीसीईए के अनुमोदनानुसार रागांग्रावियो के लिए अनुमोदित परिव्यय को दीदउग्राज्योयो को अग्रेणीत कर ग्रामीण विद्युतीकरण।

2.36 विद्यमान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (रागांग्रावियो) को नयी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है तथा रागांग्रावियो की व्यय न की गयी राशि दीदउग्राज्योयो को अग्रेणीत कर दी जायेगी। सभी डिस्कॉमें योजनान्तर्गत वित्तीय

सहायता के लिए पात्र हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (ग्राविनि) योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रक अभिकरण होगा।

- 2.37 विव 2016-17 में इस दीदउग्राज्योयो के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो हेतु 35 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।
- 2.38 विव 2016-17 के लिए रागांग्रावियो के साथ ही इस योजना की विस्तृतियां **अनुलग्नक "सी"** पर दी गयी है।

मद – ज एकीकृत बिजली विकास परियोजना (एबिविप)

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

- 2.39 भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में उप प्रसारण एवं वितरण नेटवर्क और उसके मीटरिंग के अंतराल को पूरित करने के लिए डिस्कॉम/विद्युत विभाग को एकीकृत बिजली विकास योजना (एबिविप) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- 2.40 योजना में शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित घटक शामिल हैं:-
- अ. शहरी क्षेत्रों में उप प्रसारण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण तथा सरकारी ईमारतों में नेट मीटरिंग के साथ सोलर पैनल लगाना।
- ब. शहरी क्षेत्रों में फीडर/वितरण ट्रांसफार्मर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- स. सीसीईए की मंजूरी दिनांक 21.06.2013 के तहत पुत्वविविसुका की 12वीं एवं 13वीं परियोजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुत्वविविसुका के तहत एबिविप द्वारा वितरण तंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी लागू करना तथा वितरण तंत्र का सुदृढीकरण करना।
- 2.41 इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजना केवल शहरी क्षेत्रों (वैधानिक कस्बों) के लिए है और इसमें उप प्रसारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढीकरण का कार्य, सरकारी ईमारतों पर नेट मीटरिंग के साथ सोलर पैनल लगाना, फीडर/वितरण ट्रांसफार्मर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी लाना शामिल है। सेंसस 2011 के अनुसार 5000 तक की आबादी वाले वैधानिक कस्बों में सूचना प्रौद्योगिकी लागू की जाएगी। पहले चरण में 15000 तक की आबादी वाले कस्बे लिए जा सकते हैं और धीरे-धीरे आबादी सीमा को 5000 तक घटाया जा सकता है। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए आबादी सीमा 5000 तक हो सकती है।

- 2.42 एकीकृत बिजली वितरण योजना के निष्पादन के लिए 30.00 करोड़ रू. का प्रावधान जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विव 2016–17 में रखा गया है।
- 2.43 विव 2016–17 के लिए प्रस्तावित वृत्त के भौतिक लक्ष्य एवं खर्चे अनुलग्नक 'सी' एवं अनुलग्नक 'डी' में प्रदर्शित है।

द. माननीय आयोग से प्रार्थना :

- क. राविविआ (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 के साथ पढ़ी जाने वाली विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये विव 2016–17 की निवेश योजना के चाहे गये अनुमोदन की याचिका को स्वीकार करने के लिए।
- ख. प्रकरण की परिस्थितियों के अधीन तथा न्याय हित में, कोई भी अन्य आदेश, जो माननीय आयोग उचित व उपयुक्त समझता है, पारित करने के लिए।
- ग. किसी भी त्रुटि/भूल को माफ करने तथा उसे ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए।
- घ. समय– समय पर, आवश्यक होने की दशा में इस याचिका में अग्रेतर प्रस्तुतीकरण, परिवर्धन तथा आशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता को अनुमत करने के लिए।

विव 2015-16 में भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति

विशिष्टियां	इकाइयां	लक्ष्य	उपलब्धि
1) उप-प्रसारण तथा वितरण			
1.1) 33 केवी लाइन	किमी	350	782.42
1.2) 33 / 11 केवी सब-स्टेशन	सं.	70	110
1.3) 33 / 11 केवी सब-स्टेशन (नये + संवर्धन)	एमवीए	280	444.45
2) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य			
2.1) कृषि पम्प सैट	सं.	17,200	17,198
2.2) हरिजन बस्तियां	सं.	16	8
3) रागांग्रावियो / एआरईपी / मुमंसलिवियो			
3.1) विद्युतीकृत गांव (ग्राविनि सहित)	सं.	194	156
3.2) बीपीएल (रागांग्रावियो अनुसार)	सं.	79,398	5,732

विव 2015-16 की वित्तीय योजना के विरुद्ध खर्चे

योजना कार्य	योजना नियतन (करोड़ रु.)	किया गया व्यय (करोड़ रु.)
1) उप- प्रसारण तथा वितरण	350.00	350.00
2) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	488.89	488.89
3) रागांग्रावियो	140.00	140.00
4) पु- त्वविविसुका भाग - अ	10.00	10.00
5) पु- त्वविविसुका भाग - ब	175.00	175.00
6) फीडर सुधार कार्यक्रम	160.00	160.00
7) सब-स्टेशन सुधार कार्यक्रम	61.50	61.50
8) मुमसलीवियो	0.00	0.00
9) दीदउग्राज्योयो	2.70	2.70
10) एबीवियो	1.50	1.50
योग	1389.50	1389.50

योजना एवं वृत्तवार अनुमानित भौतिक लक्ष्य विव 2016-17

क्र. सं.	विशिष्टियां	इकाई	लक्ष्य	जिला/वृत्त का नाम												
				जोधपुर शवृ	जोधपुर जिवृ	पाली	सिरोही	जालोर	बाड़मेर	जैसलमेर	बीकानेर शवृ	बीकानेर जिवृ	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	चुरु	नागोर (पं.स.. लाडनू)
	उप-प्रसारण एवं वितरण कार्य															
1	33 केवी लाइनें	किमी	390	--	126	18	12	54	36	12	--	60	18	24	30	0
2	33 केवी स.स्टे.	सं.	60	--	20	3	2	8	6	1	--	9	3	4	4	0
		मेवोए	258	--	89	11	7	37	22	7	--	41	11	15	18	0
	ग्रामीण विद्युतीकरण															
1	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य नये कनेक्शन दिये जाने सहित सामान्य ग्राविकार्य	सं.	100000	1500	24520	12155	5210	10330	7850	7485	265	6670	8255	9360	6400	--
2	सामान्य योजनान्तर्गत कुयें	सं.	7445	--	1516	696	407	609	994	372	--	1033	809	528	470	11
	रागांग्रावियो															
1	रागांग्रावियो (सीएसएस) के अन्तर्गत ढाणियां (अविद्युतीकृत तथा आंशिक विद्युतीकृत)	सं.	7740	--	1580	760	58	500	--	1600	--	1400	--	1000	750	92
2	रागांग्रावि योजनान्तर्गत बीपीएल के लिए घरेलू कनेक्शन	सं.	50000	--	5000	7000	5000	9000	--	6500	--	5000	--	4500	7000	1000
3	गांव	सं	39	--	4	--	--	--	--	33	--	2	--	--	--	--

विव 2016-17 के लिए निवेश योजना के अनुमोदनार्थ दायर याचिका

	दीदउग्राज्योयो															
1	जुडे/बिना जुडे हुए घर															
अ	ढाणी (विद्युतीकृत व आंशिक विद्युतीकृत)	सं	172	--	32	1	0	20	95	2	--	10	6	5	1	--
ब	बीपीएल के लिए घरेलू कनेक्शन	सं	50	--	8	0	--	10	26	0	--	4	1	1	--	--
स	एपीएल के लिए घरेलू कनेक्शन	सं	100	--	9	0	--	9	75	1	--	4	1	1	--	--
2	फीडर पृथक्कीकरण	सं	10	--	2	1	1	2	1		--	1	1	0	1	--
3	मीटरिंग	सं	70	--	11	3	3	7	7	4	--	18	6	3	8	--
4	तंत्र सुदृढीकरण (नए 33/11 केवी सब स्टेशन + वृद्धि)	सं	2	---	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
5	सांसद आदर्श ग्राम योजना	सं	13	--	4	1	--	1	2	2	--	1	--	1	1	--
6	पुत्वविसुका															
1	पुत्वविसुका - अ	सं.	31	4	--	3	2	2	2	1	3	--	5	2	6	1
2	पुत्वविसुका - ब	सं.	30	4	--	3	1	2	2	1	3	--	5	2	6	1
7	फीडर सुधार कार्यक्रम	सं.	6749	329	1315	539	200	881	801	296	206	824	410	353	550	45
8	स.स्टेश कार्यक्रम सुधार	सं.	1515	68	274	113	52	182	189	64	44	177	94	97	161	0
9	एबिवियो		56	1	3	9	5	3	2	2	1	3	6	10	11	--

योजना एवं वृत्तवार प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य - विव 2016-17 (करोड़ रु.)

विशिष्टियां	प्रस्तावित प्राक्कलन	योजना एवं वृत्तवार वित्तीय लक्ष्य - विव 2016-17 (करोड़ रु.)												
		जोधपुर शवृ	जोधपुर जिवृ	पाली	सिरोही	जालोर	बाड़मेर	जैसलमेर	बीकानेर शवृ	बीकानेर जिवृ	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	चुरु	नागोर (पं.स. लाडनू)
उप-प्रसारण एवं वितरण कार्य	300.00	0.17	70.04	16.93	10.91	36.63	29.77	12.15	10.26	37.69	15.82	18.16	20.69	4.13
नये कनेक्शन दिये जाने सहित सामान्य ग्राविकार्य	450.00	32.10	82.80	21.85	20.53	24.80	42.95	11.70	32.40	87.45	37.00	25.00	31.00	0.42
पुत्वविसुका भाग - अ	50.00	16.90	9.10	1.40	0.40	0.60	3.20	0.20	7.80	4.20	1.20	2.00	2.80	0.20
पुत्वविसुका भाग - ब	110.00	37.60	9.40	8.32	0.40	1.59	5.07	2.90	14.89	3.70	6.35	8.45	11.00	0.33
रागांग्रावियो	280.00	—	66.90	25.65	9.35	19.45	—	70.00	—	65.35	—	4.65	17.10	1.55
दीदउग्राज्योयो	35.00	—	4.70	1.10	0.87	2.48	17.38	1.21	—	2.75	2.15	1.06	1.30	0.00
फीडर सुधार कार्यक्रम	50.00	2.66	9.00	4.50	1.49	6.53	5.93	2.19	0.63	7.01	3.04	2.62	4.07	0.34
सब-स्टेशन सुधार कार्यक्रम	40.00	2.36	5.00	2.20	0.73	4.89	5.36	2.09	2.32	5.00	2.85	2.98	4.21	0.00
एबिवियो	30.00	0.45	1.40	5.65	2.50	1.40	0.85	0.85	0.45	1.40	2.75	6.00	6.30	0.00
योग	1345.00	108.88	258.34	87.61	47.18	98.37	110.52	103.30	68.75	214.54	71.16	70.92	98.46	6.97